NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

HINDU, Mumbai, 9.1.2025

Page No. 4, Size:(19.26)cms X (9.02)cms.

Atrocity complaint puts the spotlight on reservation debate within transgender community

Abhinay Lakshman
NEW DELHI

As the movement for horizontal reservation for transgender people in government jobs and education picks up pace in northern India, taking cue from activists in southern States, the National Commission for Scheduled Castes (NCSC) has now taken cognisance of an atrocity complaint against Uttar Pradesh's Transgender Welfare Board member Devika Devendra S. Manglamukhi, a strong proponent of vertical reservation, "because the Dalit trans community lives with fear in U.P. because of her", as per the complainant.

While vertical reservations would translate into a separate quota category under which all trans people would qualify, irrespective of their socio-economic category, many trans activists across the country have stressed that horizontal reservations are the need of the hour as vertical quotas ignore the layered nature of discrimination transgender people from marginalised castes face. Horizontal reservation would ensure a percentage for trans people in each socio-economic category.

Notice issued

Based on the complaint from a Saharanpur-based Dalit trans woman activist, Yashika, the Commission for SCs issued notices to the district administration and police in Saharanpur on January 3. "Ms. Devika is known to routinely call many trans activists who support horizontal reservations and abuse and harass them. Her position on horizontal reservations is also public on her social media," Ms. Yashika told *The Hindu*.

She added that she had submitted a recording of one such call to the Commission, where Ms. Devika, whom she described as a "prominent upper caste transgender", allegedly used casteist and transphobic abuses, including deliberate misgendering.

A caste atrocity complaint was registered against Uttar Pradesh's Transgender Welfare Board member Devika Devendra S. Manglamukhi, who strongly advocates for vertical reservation for transgenders.

Ms. Devika rebutted the allegations. "First, the voice in the recording is not mine as is being alleged. Second, there are no details of when the call recording is allegedly from, and third, is it legal to record calls in such a manner?" she told *The Hindu*. Ms. Devika also accused the complainant of "misusing the Constitution, and the transgender identity", and insisted that the NCSC is "being taken for a ride". "I am also approaching the NHRC and NCSC to file a complaint," she added.

Ms. Devika continued, "The NALSA judgement (2014) calls for us to be treated as socially and educationally backward classes (SEBC). So then, being a trans woman makes me an OBC (Other Backward Class). How can the complainant call me 'upper caste' or 'Savarna'?"

In her complaint against Ms. Devika, Ms. Yashika, who also runs an Instagram page named the Bahujan Queer Collective, has called for action to be taken under relevant Sections of the Scheduled Castes (SCs) and Scheduled Tribes (STs, Prevention of Atrocities) Act and the Transgender Persons (Protection of Rights) Act. The National Commission has asked the Saharanpur district administration and police to submit Action Taken Reports by January 17.

After the NCSC issued notice on the complaint, Ms. Devika has been posting on her profile about the social work she has undertaken to uplift and empower the Valmiki community.

Since the 2014 judgment of the Supreme Court that directed governments to provide reservation to trans people in government jobs and education, the demand for quotas from the community has only grown. But an arguable ambiguity in the Supreme Court's direction, which called for transgender people to be treated as "socially and educationally backward classes of citizens", has divided opinion within the transgender community on what kind of reservations should be provided.

Ms. Devika, a trans woman herself, is of the view that the community should instead be fighting for equality in society, and vertical reservations. In Facebook posts, most recently on Monday, she said: "We are equal, that's why we want vertical reservation for Transgenders".

'No caste discrimination'

"When trans people are abused and discriminated, it is not based on caste, it is purely based on our gender," she said.

Based on the 2014 judgment, she further insisted that a person could not continue with their socio-economic category's caste identity after identifying as a transgender person. "Because the judgment says transgender people are SEBCs, they cannot also then continue to be SC," she said.

The Supreme Court of India had in March 2023 refused to entertain a petition that asked for a clarification on the ambiguity in the 2014 direction for reservations. One interpretation of this direction has already resulted in the Madhya Pradesh government including transgender people as a community within its State OBC list in April 2023.

This, even though High Courts, including the Karnataka High Court, Madras High Court, and more recently, the Calcutta High Court, have interpreted it differently, and directed that the community be provided horizontal reservations.

Chennai-based trans rights activist Grace Banu, who has been spearheading the movement for horizontal reservation in southern States, told *The Hindu* that Ms. Devika's interpretation and understanding of the 2014 National Legal Services Authority (NALSA) judgment is "casteist" and "reflected the dominant caste mentality" that the transgender people of the country continue to fight.

"This reading denies the reality that there are transgender people in all caste categories. How is bunching them up as OBCs serving the purpose of equality?" Ms. Banu said.

National Human Rights Commission (NHRC): Urgent need for structural reform

https://cjp.org.in/national-human-rights-commission-nhrc-urgent-need-for-structural-reform/

India's apex human rights body faces a credibility test as GANHRI defers its accreditation, with a decision due in March 2025

08, Jan 2025 | A Legal Researcher

"NHRC, India retains its status of accreditation with GANHRI," reads a press release from 2018 on the National Human Rights Commission's website. There is, predictably no 2024 update. In fact, it is doubtful whether one would find a press release explaining how the same Global Alliance of National Human Rights Institutions (GANHRI) had put India's accreditation on deferral in 2024 and that the Sub-Committee on Accreditation will decide on this when it meets in March 2025.

Recently, Rahul Gandhi and Mallikarjun Kharge – leaders of opposition in Lok Sabha and Rajya Sabha registered their dissent over the selection process of the NHRC Chairperson calling it a 'fundamentally flawed' and a 'pre-determined' exercise that ignored consultation and consensus. The dissent note has been made public and can be accessed here.

The previous Chairperson Justice Arun Mishra was appointed to the post 9 months after he retired from the Supreme Court. Arun Mishra had not only described PM Modi as a versatile genius at a public function while being a judge at the Supreme Court, but he also later praised the government for their 'untiring' efforts to foster peace in Jammu & Kashmir while being the NHRC Chairperson. The appointment of Justice Arun Mishra as NHRC Chairperson did attract criticism.

From being a flagship institution that people relied on for addressing human rights grievances to its current state of diminished credibility, the reasons for the NHRC's decline lie not just in the current establishment's zeal to politicise institutions but also in its inherent structural flaws. This article will highlight one of such structural flaws—lack of independence due to flaws in the appointment process.

The National Human Rights Commission (NHRC) of India was established on October 12, 1993, under the Protection of Human Rights Act (PHRA) of 1993, later amended in 2006 and 2019. As an independent statutory body, the NHRC serves as the watchdog for human rights in the country, ensuring the protection of rights related to life, liberty, equality, and dignity as guaranteed by the Constitution of India and international covenants.

Composition and appointment

The NHRC is a multi-member body comprising a chairperson, five full-time members, and seven deemed members. The Chairperson is typically a retired Chief Justice of India or a Supreme Court judge. The full-time members include:

One member who is or has been a Judge of the Supreme Court of India.

One member who is or has been the Chief Justice of a High Court.

Three members appointed from among persons knowing of, or practical experience in, matters relating to human rights, with at least one being a woman.

The deemed members are the Chairpersons of the National Commissions for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Minorities, Women, Backward Classes, and the Chief Commissioner for Persons with Disabilities.

Appointments to the NHRC are made by the President of India based on the recommendations of a Selection Committee comprising the Prime Minister (Chairperson), the Speaker of the Lok Sabha, the Deputy Chairman of the Rajya Sabha, the Leaders of the Opposition in both Houses of Parliament, and the union home minister. The Chairperson and member serve for a term of three years or until they reach the age of 70 years whichever is earlier and are eligible for reappointment following the completion of their term.

The President can remove the chairperson or any member of the office if she/he is adjudged insolvent or; engages during his term of office, in any paid employment outside the duties of his office or; is unfit to continue in office because of the infirmity of mind or body or; is of unsound mind and stands so declared by a competent court or; is of unsound mind and stands so declared by a competent court or; is convicted and sentenced to imprisonment for an offence. The President can also remove the Chairperson or any members on the grounds of proven misbehaviour or incapacity. The procedure for the removal however involves referring the matter to the Supreme Court for an inquiry and removing the member on the court’s advice.

Functions and powers

The NHRC is endowed with a broad mandate to promote and protect human rights in India. Its key functions include:

Inquiry and Investigation: The Commission can suo moto take cognizance of complaints of human rights violations or negligence in preventing such violations by public servants. It can also intervene in ongoing judicial proceedings involving human rights issues with court approval.

Inspection of Custodial Institutions: The NHRC has the authority to visit jails and other state-controlled institutions to assess the living conditions of inmates.

Review of Safeguards: It reviews legal safeguards for the protection of human rights and suggests necessary remedial measures.

Research and Awareness: The Commission undertakes and promotes research in the field of human rights.

Encouragement of NGOs: It encourages the efforts of non-governmental organizations and institutions working in the field of human rights.

While the NHRC can make recommendations to the government, its decisions are not legally binding. However, it plays a crucial role in highlighting human rights issues and advocating for policy changes.

The NHRC did some pathbreaking work in cases like the Gujarat Carnage case in which it had taken suo moto cognizance through media reports and initiated inquiry into the violence; approached the Supreme Court on behalf of riot victims. In 1997, the NHRC wrote to Chief Ministers regarding the procedure to be followed in cases of deaths in police encounters. This was done based on a complaint brought before the commission by the Andhra Pradesh Civil Liberties Committee (APCLC). Also in 1997, and thereafter right until 2004, The National Human Rights Commission (NHRC), which went through 2,097 cases of killing of youth and mass cremation of their bodies by the Punjab police during the peak of militancy in the State, has ordered a relief of Rs. 27.94 crore to the families of 1,513 victims of such extra-judicial killings. In both the Gujarat carnage case (2002-2004 onwards) and in the Punjab Disappearances case (1997-2004) the NHRC exercised its statutory rights and moved Article 32 petitions on the issue before the Supreme Court of India. Critically, on draconian anti-terror laws like POTA and TADA too, the NHRC has taken a strong stand. In 2000, “Prevention of Terrorism Bill, 2000: NHRC’s Opinion” The National Human Rights Commission has taken the view that there is no need for the enactment of a law based on the Draft Prevention of Terrorism Bill, 2000. This unanimous view was taken at a meeting of the Full Commission held on 11 July 2000 and elaborated in a detailed Opinion issued on July 14, 2000. Earlier the NHRC Chair had even written to all Members of Parliament asking them to repeal the stringent Terrorist and Disruptive Act.

Issues with NHRC

There are multiple issues that restrict the scope of NHRC and hinder it from realising its true potential to be an active safeguarding entity of human rights in India. Not only are its recommendations not binding on the government, but it also has jurisdictional limitations i.e. it cannot address violations by private individuals or entities. It does not

have the authority to penalise the authorities that fail to implement its recommendations.

The credibility crisis of the NHRC is not just about operational inefficiencies but is rooted in an appointment process dictated by the ruling government. If the government wants a toothless NHRC, it can have one with little effort. Only an independent NHRC, free from political interference, can demand the resources and autonomy it needs but when led by those who merely echo the government's line, it risks sinking deeper into irrelevance, eroding its very purpose.

What could constitute reform?

There is a serious need to re-imagine how the appointments are made to NHRC.

The Sub-Committee on Accreditation of the GANHRI noted that the current selection committee does not sufficiently promote broad consultation or participation in the selection process. It also noted that the current process does not maximise the number of candidates from a wide range; that the committee does not provide for the formal involvement of civil society organisations in the process. It had suggested a formalisation process to publicise vacancies broadly, to maximise the number of potential candidates from a wide range of societal groups, and to assess applicants on the basis of pre-determined, objective, and publicly available criteria.

The Paris Principles, a set of international guidelines for National Human Rights Institutions (NHRIs), layout key principles regarding the composition and appointment of NHRIs to ensure their independence and pluralism. Principle 5 emphasizes that the composition and appointment process should guarantee pluralistic representation of various social forces involved in human rights protection.

This principle highlights the importance of diverse perspectives within the NHRI, enabling it to effectively address a wide range of human rights concerns. The selection process, whether through elections or other means, must ensure the inclusion of representatives from various segments of society.

The Paris Principles specifically recommend the inclusion of representatives from:

Non-governmental organizations (NGOs) focus on human rights, racial discrimination, trade unions, and professional organizations.

Different philosophical or religious schools of thought.

Academia, including universities and qualified experts.

Parliament

Government departments, but only in an advisory capacity.

A first step would be the incorporation of these principles in letter and spirit in the PHRA, 1993.

Conclusion

The National Human Rights Commission of India stands at precarious crossroads, embodying both the promise of justice and the peril of irrelevance. Yet, all is not lost. The challenges facing the NHRC, though significant, are not insurmountable. Incorporating the Paris Principles in full—ensuring transparency, pluralism, and independence in its appointments—is an essential first step. Equally critical is the empowerment of the NHRC to enforce its recommendations and expand its jurisdiction to cover private entities, enabling it to address the multifaceted realities of human rights violations in contemporary India.

If these reforms are enacted with sincerity and urgency, the NHRC can reclaim its foundational ethos and emerge as a resilient institution, capable of standing firm against injustice regardless of the prevailing political winds. Failing to act, however, risks relegating the commission to a symbolic relic, unable to protect the very rights it was created to uphold.

सिस्टम से संघर्ष या जातिगत प्रताड़ना: NIT पटना में भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने वाले मेधावी दलित छात्र का करियर संकट में, क्या मिल पाएगी डिग्री?

https://www.themooknayak.com/education/how-a-dalit-student-is-battling-discrimination-and-systemic-harassment-at-nit-patna-after-exposing-corruption-and-mismanagement

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू , सीजेआई संजीव खन्ना और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को लिखे पत्रों में व्यवस्थागत उत्पीड़न के शिकार छात्र शुभम कुमार ने एनआईटी पटना में भ्रष्टाचार, जाति-आधारित भेदभाव और कुप्रबंधन को उजागर करते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है।

Geetha Sunil Pillai Published on: 08 Jan 2025, 11:34 am

पटना- धारा के विपरीत तैरना कभी आसान नहीं होता, खासकर जब दांव पर एक डिग्री हो जिसे उसी शैक्षिक संस्थान से प्राप्त करना है जिसके विरुद्ध आपकी लड़ाई छिड़ी हो। लेकिन एक दलित छात्र, शुभम कुमार ने गलत कार्यों के सामने चुप रहना गवारा नहीं किया। एनआईटी पटना में व्याप्त भ्रष्टाचार, जाति-आधारित भेदभाव और कुप्रबंधन को नजरअंदाज करने से इनकार करते हुए, शुभम ने निडरता से अपनी आवाज उठाई। इसके बाद एक अथक संघर्ष शुरू हुआ जो अब दो साल से भी अधिक समय से जारी है, क्योंकि वह उसी व्यवस्था के खिलाफ न्याय के लिए लड़ रहे हैं जो उनके दावों को दबाने की कोशिश कर रही है। इस लड़ाई की शुभम को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ रही है, उसकी डिग्री वतर्मान में अधर झूल में है.

न्याय की एक सशक्त गुहार में, अनुसूचित जाति समुदाय से आने वाले छात्र शुभम कुमार ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई), संजीव खन्ना से एक ऐसे मामले में हस्तक्षेप की मांग की है जिसने उनके शैक्षणिक करियर को बेपटरी कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के महासचिव के माध्यम से भेजे गए शुभम के पत्र में भेदभाव, संस्थागत भ्रष्टाचार और न्यायिक पूर्वाग्रह की एक दुखद तस्वीर पेश की गई है, जिसने उनके भविष्य को अन्धकार में डाल दिया है।

बिहार के रोहतास जिले के मौना गांव के निवासी शुभम ने 2020 में एनआईटी पटना में प्रवेश लिया। एक मेधावी छात्र होने के बावजूद, शुभम का दावा है कि संस्थान में भ्रष्टाचार और कदाचार के खिलाफ आवाज उठाने के बाद वे व्यवस्थागत उत्पीड़न के शिकार हो गए।

उन्होंने यूजीसी नेट (जून 2024) और गेट (2024) परीक्षाएं उत्तीर्ण की हैं, आईआईटी जेईई एडवांस्ड (2019) में एससी श्रेणी में अखिल भारतीय रैंक 1,442 हासिल की, और मलेशिया में एशिया यूथ इंटरनेशनल मॉडल यूनाइटेड नेशंस में भारत का प्रतिनिधित्व किया।

उन्होंने शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय वाद-विवाद प्रतियोगिता भी जीती और आईआईएससी बेंगलुरु द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय सम्मेलन में शोध पत्र प्रस्तुत किया।

इन उपलब्धियों के बावजूद, कुमार की शैक्षणिक यात्रा संस्थागत और न्यायिक झटकों से प्रभावित रही है। जहाँ उसके साथ प्रवेश लेने वाले बैच मेट्स की डिग्री पूरी हो चुकी हैं, वहीं शुभम अभी तक चार सेमस्टर ही पार कर सके हैं. एनआईटी पटना में चल रहे अनियमितताओ पर ऊँगली उठाने के कारण शुभम को फेल करने से लेकर मानसिक उत्पीडन की तकलीफ से गुजरना पडा है.

पूरक परीक्षाओं के लिए निर्देश मांगने सहित उनकी अंतरिम याचिकाएं खारिज कर दी गईं, जिससे उनकी डिग्री पूरी होने में देरी हुई और उनके करियर को खतरा पैदा हो गया। महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य वाली एक अन्य याचिका लंबित पड़ी है, जिससे प्रमुख तथ्य अनजाने रह गए हैं।

द मूकनायक से विस्तृत बातचीत में, शुभम कुमार ने उन संघर्षों और कथित भेदभावपूर्ण घटनाओ के बारे में बताया जिनका उन्हें सामना करना पड़ा, जिससे राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) पटना द्वारा अनुशासनात्मक मामलों को डील करने और डिग्री प्रदान करने में स्पष्ट पूर्वाग्रह और जाति-आधारित भेदभाव का पता चलता है।

शुभम ने कहा , " मैं 2020 में संस्थान में भर्ती हुआ, शुरुआत में कोरोना के कारण ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लिया। अगस्त 2021 में, मुझे प्रोफेसर सुखदेव सिंह द्वारा गलत तरीके से फेल कर दिया गया और बाद में मैंने आरटीआई और सीपीजीआरएएमएस के माध्यम से आपत्तियां उठाईं, अपने दावे के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत किए। इसके परिणामस्वरूप मौखिक परीक्षा (viva) का पुनः आयोजन किया गया, जिसमें मुझे पास घोषित किया गया"।

20 मार्च 2022 को शुभम की 2022 बैच के लिए प्रवेश की भौतिक रूप से पुष्टि की गई, जिससे ऑफलाइन कक्षाओं की शुरुआत हुई। 26 अप्रैल 2022 को शुभम ने वर्षगांठ जैसे निजी कार्यक्रमों के लिए छात्र सेवा के घंटों के दौरान कैफेटेरिया पर कब्जा करने के लिए संस्थान की खुलकर आलोचना की। संस्थान ने दो महीने के हॉस्टल मेस शुल्क की बजाय ₹24,000 वसूले—जो जनवरी-जून 2022 की अवधि तक के शुल्क के बराबर था—यह सब उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णयों के बावजूद हुआ जिनमें कोरोना के दौरान कॉलेज द्वारा प्रदान न की गई सेवाओं के लिए शुल्क में छूट का निर्देश दिया गया था।

1 मई 2022 को, शुभम ने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) में सुधा दही कूपन से जुड़े एक घोटाले के संबंध में शिकायत दर्ज की। मेस ठेकेदार ने 80 ग्राम पैक के लिए ₹10 मूल्य वाले दही के लिए ₹12-₹15 के कूपन भुनाए। इस शिकायत के बाद, वार्डन और छात्रावास प्रबंधन के अध्यक्ष के साथ शिकायत की एक प्रति साझा करने के बाद अगले दिन घोटाले को रोक दिया गया।

22 अगस्त 2022 की रात, शुभम को कक्षा प्रतिनिधि और मेस समिति के नामित सदस्य नरेंद्र बजया द्वारा धमकाने, परेशान करने और शारीरिक हमले का सामना करना पड़ा। उनका आरोप था कि यह संस्थान के भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा उकसाया गया था। अगले दिन शिकायत दर्ज की गई, लेकिन अधिकारियों ने कथित तौर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, जिससे शुभम निरंतर उत्पीड़न और धमकियों के प्रति असुरक्षित रहे। 15 सितंबर 2022 को इस दलित छात्र ने एक तकनीकी सहायक भर्ती घोटाले में कथित पक्षपात को

उजागर किया, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग विभाग के प्रमुख के बेटे का नाम शामिल था। रजिस्ट्रार ने "तकनीकी कारणों" का हवाला देते हुए भर्ती रद्द कर दी, जिसे शुभम ने विफल घोटाले को छिपाने का प्रयास बताया।

शुभम ने बताया, "22 अक्टूबर 2022 को, मैंने पटना के पीरबहोर थाने में शिकायत दर्ज कराई। हालांकि, 14 नवंबर को, एक सहायक उप-निरीक्षक (एएसआई) जांच के लिए संस्थान गए लेकिन संस्थान के अधिकारियों से समझौता कर लिया। मुझे केयरटेकर के ग्राउंड फ्लोर के कमरे में हिरासत में लिया गया, जहां वार्डन और एक अन्य अधिकारी ने जबरन मेरा फोन ले लिया। फोन को दस दिनों तक सीज करके उनकी कस्टडी में रखा गया, जिस दौरान मुझ पर पुलिस शिकायत वापस लेने और बीयर की बोतलों और आपत्तिजनक फोटोज के बारे में झूठा बयान लिखने का दबाव डाला गया। मैं इतने तनाव में था कि मेरा रक्तचाप बढ़ गया, जिसके लिए चिकित्सा उपचार भी करवाना पड़ा।"

15 नवंबर 2022 को, कॉलेज ने आरोपों का विवरण दिए बिना उन्हें एक उपस्थिति नोटिस जारी किया, जिसे शुभम ने प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन बताया। 17 नवंबर को, उन पर और उनके माता-पिता पर कथित तौर पर निष्कासन की धमकी देकर माफी मांगने का दबाव डाला गया। फोन फॉर्मेट की हुई स्थिति में वापस किया गया, और बैठक या कार्यवाही का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं रखा गया।

एक अनुसूचित जाति के छात्र के रूप में, मैंने व्यवस्थागत उत्पीड़न, संस्थागत भ्रष्टाचार और न्यायिक उदासीनता का सामना किया है। मेरी गरिमा और शिक्षा उन लोगों द्वारा छीन ली गई है जिन्हें इनकी रक्षा करनी थी।

शुभम कुमार

शुभम ने दावा किया कि 18 नवंबर के एक ईमेल सहित गढ़े गए साक्ष्यों का उपयोग निष्कासन को उचित ठहराने के लिए किया गया, जो उन्हें 24 नवंबर 2022 को विशिष्ट आरोपों या कारणों का खुलासा किए बिना सौंपा गया।

शुभम ने कहा , "मुझे जुलाई 2022 से जून 2023 यानी शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के लिए निष्कासित कर दिया गया, जिससे मेरे करियर को बड़ा झटका लगा"।

14 दिसंबर 2022 को अनुशासनात्मक कार्रवाइयों का विवरण मांगते हुए आरटीआई दाखिल करने के बाद, शुभम ने आरोप लगाया कि संस्थान ने बैकडेटेड दस्तावेजों के साथ जवाब दिया और प्रासंगिक जानकारी को रोके रखा। इस बीच, **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी)** और राज्य मानवाधिकार आयोग (एसएचआरसी) ने संस्थान को निष्कासन संबंधी रिपोर्ट प्रदान करने का निर्देश दिया, लेकिन NIT पालन करने में विफल रहा। शुभम ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से भी संपर्क किया, जिसके कारण संस्थान को अप्रैल 2023 में निष्कासन से संबंधित बैठक के कार्यवृत्त जारी करने पड़े।

मार्च 2023 में, शुभम ने पटना उच्च न्यायालय (CWJC 4528/2023) में निष्कासन को चुनौती दी। 8 मई 2023 को, न्यायालय ने निष्कासन आदेश को रद्द करते हुए संस्थान को जुलाई 2023 में आगामी सत्र से

पांचवें सेमेस्टर में पुनः पंजीकरण करने का निर्देश दिया। हालांकि, शुभम ने बताया कि इस आदेश में भी संशोधन की आवश्यकता थी क्योंकि उनका पंजीकरण पांचवें के बजाय सातवें सेमेस्टर में होना चाहिए था, जिससे एक साल की देरी हुई। उन्होंने यह भी कहा कि उनके अधिवक्ता ने कार्यवाही के दौरान उन्हें गुमराह किया और उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने में विफल रहे, जिसके परिणामस्वरूप अनावश्यक मुकदमेबाजी हुई।

इसके बाद, शुभम ने अपने अधिवक्ता के खिलाफ कई शिकायतें दर्ज कीं और विभिन्न प्राधिकरणों के माध्यम से निवारण का प्रयास जारी रखा।

एक खंडपीठ ने उनके मामले को सुनवाई के लिए स्वीकार किया। नवम्बर 2023 से मई 2024 तक न्यायालय ने 19 सुनवाई की, जिसमें सभी विवादों और मुद्दों पर विचार किया गया। अंततः, जबरन मांगी गई माफी, पर्याप्त साक्ष्य की कमी, अनुशासनात्मक कार्यवाही में अनियमितताओं और उत्पीड़न के कारण एलपीए को मंजूरी दी गई, जिसे न्यायालय ने संस्थान द्वारा शुभम के करियर को लंबित करने के लिए किए गए कार्यों के रूप में निष्कर्षित किया। हालांकि, संस्थान ने मामले को सर्वोच्च न्यायालय में ले गया जिसने पटना उच्च न्यायालय के निर्णय पर रोक लगा दी।

'मेरी गरिमा और शिक्षा छीन ली': दलित छात्र ने सीजेआई को लिखा पत्र

अपने पत्र में, शुभम लिखते हैं, *"एक अनुसूचित जाति के छात्र के रूप में, मैंने व्यवस्थागत उत्पीड़न, संस्थागत भ्रष्टाचार और न्यायिक उदासीनता का सामना किया है। मेरी गरिमा और शिक्षा उन लोगों द्वारा छीन ली गई है जिन्हें इनकी रक्षा करनी थी।"*

एसएलपी संख्या 19944 of 2024 के रूप में पंजीकृत यह मामला पटना उच्च न्यायालय के 17 मई 2024 के निर्णय से उत्पन्न हुआ। शुभम ने बताया कि जस्टिस ऋषिकेश रॉय और एसवीएन भट्टी की पीठ ने उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रियान्वयन पर रोक लगाने का आदेश जारी किया, जिसने पहले उनके पक्ष में फैसला सुनाया था।

भारत में कानूनी परिणामों के बिना माफी को अनिवार्य करने वाले कानूनी प्रावधान नहीं होने के बावजूद, शुभम का आरोप है कि न्यायालय की कार्यवाही के दौरान उन्हें जबरन और बार-बार माफी मांगने की मांग का सामना करना पड़ा, जिससे उनकी गरिमा और निष्पक्ष बचाव के अधिकार को क्षति पहुंची। न्यायालय ने कथित तौर पर छेड़छाड़ किए गए साक्ष्यों पर भरोसा किया और *स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम सोम नाथ थापा* और *ओंकार नाथ मिश्रा बनाम स्टेट* जैसे मामलों में स्थापित नजीर की अनदेखी की, जो यह जोर देते हैं कि माफी ठोस साक्ष्य का विकल्प नहीं हो सकती।

शुभम ने जस्टिस ऋषिकेश रॉय और एसवीएन भट्टी की पीठ से अपने मामले की सुनवाई से खुद को अलग करने का अनुरोध किया है। उनका आरोप है कि उनके आचरण ने स्पष्ट पक्षपात दर्शाया है, जिससे उनके शैक्षणिक करियर को महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचा है और निष्पक्ष सुनवाई के उनके अधिकार को कमजोर किया है।

उन्होंने सीजेआई से एलपीए 1339 of 2023 के निर्णय के क्रियान्वयन पर लगी रोक को हटाने के निर्देश जारी करने का आग्रह किया है। शुभम का तर्क है कि रोक हटाना उनके शैक्षणिक करियर को पूरा करने की अनुमति देने के लिए महत्वपूर्ण है, जो अन्यायपूर्ण रूप से बाधित हुआ है।

निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए, छात्र ने अनुरोध किया है कि उनके मामले को एक वैकल्पिक पीठ को सौंपा जाए। उनका मानना है कि एक निष्पक्ष और न्यायसंगत सुनवाई केवल तभी हासिल की जा सकती है जब उनके मामले को पक्षपात से मुक्त पीठ द्वारा निपटाया जाए।

प्लेसमेंट फॉर्म में जाति विवरण सहित संवेदनशील जानकारी का खुलासा करने के लिए मजबूर किया : NCSC को भेजी शिकायत

शुभम कुमार ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) से भी संपर्क किया है, जिसमें उन्होंने संस्थान में आयोजित ओरेकल भर्ती अभियान के दौरान जाति-आधारित भेदभाव, अनैतिक प्रथाओं और गोपनीयता के उल्लंघन का आरोप लगाया है। अपनी विस्तृत शिकायत में, उन्होंने उजागर किया कि कैसे छात्रों को प्लेसमेंट फॉर्म में जाति विवरण सहित संवेदनशील जानकारी का खुलासा करने के लिए मजबूर किया गया। शुभम के अनुसार, इससे भेदभाव के लिए अनुकूल माहौल बनता है, और हाशिए के समुदायों के स्टूडेंट्स के लिए समानता और योग्यता के सिद्धांतों को कमजोर करता है।

शुभम ने चयन प्रक्रिया के दौरान हेरफेर और पक्षपात का भी आरोप लगाया है। उनका दावा है कि एनआईटी पटना के प्रशिक्षण और प्लेसमेंट अधिकारी, डॉ. शैलेश मणि पांडेय के करीबी सहयोगी रोहन शेट्टी को ऑनलाइन मूल्यांकन में अयोग्य घोषित किए जाने के बावजूद साक्षात्कार चरण में आगे बढ़ने की अनुमति दी गई। शुभम का आरोप है कि रोहन का चयन प्रोटोकॉल के उल्लंघन और अधिकार के दुरुपयोग के माध्यम से किया गया, जिससे योग्य उम्मीदवारों को निष्पक्ष अवसर से वंचित कर दिया गया।

शुभम ने एनसीएससी से विस्तृत जांच, हेरफेर किए गए चयन को तत्काल रद्द करने और शैक्षणिक संस्थानों में निष्पक्ष भर्ती प्रथाओं को सुनिश्चित करने के लिए कड़े उपायों के लिए हस्तक्षेप की मांग की है।

एक प्रतिभाशाली युवा का उज्जवल भविष्य संकट में

द मूकनायक से बात करते हुए, शुभम कुमार ने उन संघर्षों और कथित भेदभावपूर्ण नीतियों का वर्णन किया जिनका उन्हें सामना करना पड़ा, जो एनआईटी पटना में स्पष्ट पक्षपात और जाति-आधारित भेदभाव को उजागर करता है।

शुभम कहते हैं "उदाहरण के लिए, पांच छात्र एक आबकारी मामले में शामिल थे (एफ.आई.आर. नंबर 0152/2023 मोहनिया, कैमूर)। मेस समिति के सदस्य और हमारे ईसीई विभाग में कक्षा प्रतिनिधि नरेंद्र बजया का नाम पीरबहोर पी.एस. (एफआईआर नंबर 842/2023) में 22.08.2022 की रैगिंग शिकायत घटना के लिए दर्ज किया गया था। एक अन्य मामले में, एक छात्र को ब्रह्मपुत्र एनआईटी पटना छात्रावास के भीतर नशीला पदार्थ सूंघते हुए रिकॉर्ड किया गया था। इसके अतिरिक्त, दो अन्य छात्र लड़कियों के छात्रावास के पास गुंडागर्दी में शामिल थे।

इन गंभीर अपराधों के बावजूद, इनमें से किसी भी छात्र के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की गई और उन्हें समय पर डिग्री प्रदान की गई। हालांकि, मेरी डिग्री को केवल जातिगत नफरत और पूर्वाग्रह के कारण अन्यायपूर्ण तरीके से रोका गया है। यह उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा मेरे निष्कासन को योग्यता के आधार पर रद्द करने के बावजूद हुआ। संस्थान ने प्रतिशोधात्मक उद्देश्यों से प्रेरित होकर और जाति-आधारित भेदभाव से प्रभावित होकर, उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ रोक तक हासिल कर ली, जिससे मेरी डिग्री में और देरी हुई और मेरा करियर बर्बाद कर दिया।"

वे आगे कहते हैं," इन भेदभावपूर्ण नीतियोंऔर अनियमितताओं को उजागर करने के मेरे प्रयासों का परिणाम केवल अधिक शत्रुता और उत्पीड़न के रूप में सामने आया है। मुझे आशा है कि मेरी पीड़ा लोगों तक पहुंचेगी ताकि एनआईटी पटना को जवाबदेह ठहराया जा सके और मेरे जैसे पीड़ितों को न्याय मिल सके।"

शुभम ने भारत के राष्ट्रपति को भी एक पत्र भेजा है, जिसे कानून मंत्रालय को अग्रेषित किया गया है और हाल ही में इसकी पावती दी गई है।

शुभम ने जून 2024 में यूजीसी नेट के लिए क्वालीफाई किया , गेट 2024 में अखिल भारतीय रैंक 22,186 प्राप्त किया, और जेईई एडवांस्ड 2019 में एससी श्रेणी में 1442 रैंक हासिल किया जो उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण का प्रमाण हैं। फिर भी, उन्हें डर है कि जारी कानूनी लड़ाई और व्यवस्थागत उत्पीड़न ने उनके करियर को अपूरणीय नुकसान पहुंचाया है।

"मेरी शैक्षणिक यात्रा को मेरे खिलाफ हथियार बनाया जा रहा है, और मेरी योग्यता को एक ऐसी व्यवस्था द्वारा दबाया जा रहा है जो न्याय देने से इनकार करती है," वे कहते हैं।

द मूकनायक ने एनआईटी पटना के निदेशक और रजिस्ट्रार को शुभम कुमार द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों पर संस्थान का पक्ष जानने के लिए ईमेल भेजे। 24 घंटे बीत जाने पर भी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया प्राप्त नही हुई है, समाचार को एनआईटी पटना से स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर अपडेट किया जाएगा।

एसबीआई के एफआई मैनेजर पर प्रताड़ना का आरोप ग्राहक सेवा केंद्र की चाबी छीनकर धमकाने के मामले में एसपी से शिकायत

https://aimamedia.org/newsdetails.aspx?nid=370007

Krishnarao Wagdre, Betul, Madhya Pradesh (MP) 08/01/2025 12:36 PM
Krishnarao Wagdre, Betul

बैतूल।
भारतीय स्टेट बैंक के एफआई मैनेजर चेतन विश्वाला पर एक महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला, बगडोना पाथाखेड़ा में ग्राहक सेवा केंद्र की संचालक हैं। शिकायत में आरोप है कि एफआई मैनेजर ने बैंकिंग अवकाश के दिन, 28 दिसंबर को केंद्र में आकर उनकी गैरमौजूदगी में उनकी सहायक कर्मचारी को धमकाया, बदतमीजी की, और सेवा केंद्र की चाबी जबरन ले ली। पीड़िता ने आरोप लगाया कि चेतन विश्वाला ने सेवा केंद्र के ड्राफ्ट में रखे पैसे अनुचित तरीके से निकाल लिए और फोन पर धमकी देते हुए कहा कि, तुम लोग मेरे कहे अनुसार काम नहीं कर रहे हो। तुम्हें झूठे मामलों में फंसा दूंगा और तुम्हारा ग्राहक सेवा केंद्र बंद करवा दूंगा। इसके बाद, उन्होंने दुकान का शटर बंद कर ताला लगा दिया और चाबी लेकर चले गए। पीड़िता ने बताया कि जब वह अपने पति के साथ क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय बैतूल पहुंचीं, तो चेतन विश्वाला ने उन्हें धमकाकर भगा दिया और चाबी लौटाने से इनकार कर दिया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि एक दलित महिला होने के कारण उन्हें मानसिक, और आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। इस घटना की शिकायत पुलिस अधीक्षक, राज्य महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग और दलित आयोग में की गई है। महिला ने अपनी दुकान की चाबी वापस दिलाने और ग्राहक सेवा केंद्र को पुनः चालू करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस घटना से उनका रोजगार और जीवनयापन प्रभावित हो रहा है। पीड़िता ने मामले की प्रतिलिपि वित्त मंत्री मध्यप्रदेश शासन भोपाल, **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग** भोपाल, राष्ट्रीय महिला आयोग भोपाल और राष्ट्रीय दलित आयोग भोपाल को भेजी है। पीड़िता ने चेतन विश्वाला के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है, ताकि उन्हें न्याय मिल सके और भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा न हों।

PRABHAT KHABAR, Online, 9.1.2025
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

बोर्ड ने माना, पांच में से चार श्रमिकों को सिलिकोसिस

https://www.prabhatkhabar.com/state/west-bengal/asansol/till-now-only-one-patient-has-been-confirmed-in-the-district

सिलिकोसिस से आक्रांत मरीजों को न्याय दिलाने को लेकर प्रभात खबर अखबार का मुहिम सफल रहा. बुधवार को आसनसोल जिला अस्पताल के अयोजिति जिला सिलिकोसिस डायग्नोस्टिक बोर्ड की बैठक में पांच में से चार मरीजों को सिलिकोसिस बीमारी से आक्रांत बताया गया. इन्हें सिलिकोसिस मरीज होने का पहचानपत्र आवंटन होगा.

ByPrabhat Khabar News Desk | January 8, 2025 9:36 PM

आसनसोल. सिलिकोसिस से आक्रांत मरीजों को न्याय दिलाने को लेकर प्रभात खबर अखबार का मुहिम सफल रहा. बुधवार को आसनसोल जिला अस्पताल के अयोजिति जिला सिलिकोसिस डायग्नोस्टिक बोर्ड की बैठक में पांच में से चार मरीजों को सिलिकोसिस बीमारी से आक्रांत बताया गया. इन्हें सिलिकोसिस मरीज होने का पहचानपत्र आवंटन होगा. जिसके बाद से मरीज व उसके परिवार की सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी. मरीज के जीवित रहते दो लाख रुपये नकद और चार हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन तथा नहीं रहने पर उसकी पत्नी/पति/माता-पिता को दो लाख रुपये नकद और साढ़े तीन हजार रुपये पेंशन मिलता रहेगा. बच्चों के पढ़ाई के लिए कक्षा ग्यारह से उच्च शिक्षा प्राप्त करने तक सरकार मोटी रकम सालाना अनुदान देगी. इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा को लेकर सरकार की जितनी भी परियोजनाएं हैं, उनमें इन्हें अग्रधिकार मिलेगा. जिला में अबतक सिर्फ एक श्रमिक को ही सिलिकोसिस बीमारी से आक्रांत पाया गया है. जिनकी मौत चार साल पहले हो चुकी है. सिलिकोसिस के मुद्दे को लेकर लगातार मुखर रहे तथा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत करनेवाले सामाजिक कार्यकर्ता सालानपुर प्रखंड के रामडी गांव के निवासी अमरनाथ महतो ने कहा प्रभात खबर के सहयोग के बदौलत ही उनका मुहिम सफल हुआ. पिछले कई वर्षों से वह सिलिकोसिस मरीजों को उनका हक दिलाने के लिए लड़ रहे हैं. अनेकों मरीज मारे गये. प्राभात खबर का साथ मिलते ही 18 दिनों के अंदर बोर्ड बैठ गया और पांच में से चार मरीजों को सिलिकोसिस आक्रांत होने की आधिकारिक पुष्टि हो गयी. इन मरीजों की संख्या सैकड़ों में है, जिसे लेकर आगे भी लड़ाई जारी रहेगी. गौरतलब है सिलिकोसिस बीमारी से आक्रांत मरीजों को सरकारी मान्यता नहीं मिलने से इन्हें आर्थिक अनुदान से वंचित होना पड़ रहा है. जिला के सालानपुर प्रखंड में ही कुल एक दर्जन रैमिंगमास इंडस्ट्री (क्वार्ज पत्थर की पिसाई करने का कारखाना) है. प्रदूषण नियत्रण विभाग के नियमों की अनदेखी कर धड़ल्ले से चल रहे इन उद्योगों में कार्य करनेवाले अधिकांश श्रमिक सिलिकोसिस से आक्रांत हो रहे हैं और 25-30 वर्ष के उम्र में ही इनकी मौत हो जा रही है. इन्हें सिलिकोसिस बीमारी है, इसकी पुष्टि ही नहीं होती है. जिसके कारण इन्हें सराकरी अनुदान कुछ भी नहीं मिलता है. इस मुद्दे को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता अमरनाथ महतो ने मुहिम शुरू की. उन्होंने **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग** में दो शिकायतें की. एक शिकायत जगन्नाथ राय (30) व सौ अन्य श्रमिक और दूसरी शिकायत सुबल राय (27) के सिलिकोसिस आक्रांत होने को लेकर की. आयोग ने मामले को संज्ञान

में लिया और दो अलग-अलग मामला दर्ज हुआ. इसी दौरान जगन्नाथ राय की मौत चार माह पहले और सुबल राय की मौत 21 दिसम्बर 2021 को हुई.

प्रभात खबर के संज्ञान में मामला आते ही न्याय की जगी उम्मीद : अमरनाथ

20 दिसंबर को सुबल राय की मौत होते ही सामाजिक कार्यकर्ता श्री महतो ने प्रभात खबर से संपर्क किया और पूरी कहानी बतायी. अखबार ने मरीजों के हक के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाई और खबर इस मौत की खबर को विस्तृत रूप से प्रकाशित किया. जिसके दूसरे दिन 23 दिसम्बर को मेडिकल टीम सालानपुर प्रखण्ड के अल्लाडी ग्राम पंचायत अंतर्गत बराभुईं गांव में मृतक सुबल राय के आवास पर पहुंची.

उसके बाद लगातार प्राभात खबर ने इनसे जुड़ी खबरे प्रकाशित की. जिलाधिकारी पोन्नमबालम.एस ने इस मामले को काफी गंभीरता से लिया और 18 दिनों के अंदर ही गांव में शिविर लगाकर संभावित मरीजों की प्राथमिक जांच हुई. 32 संभावित मरीजों में से 20 को प्रखंड प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक्सरे करवाया गया. एक्सरे रिपोर्ट के आधार पर छह संभावित मरीजों को जिला अस्पताल में जांच के लिए बुलाया गया.

पांच मरीज जांच के लिए आये, एक नहीं आया. सभी पांच मरीजों का जांच रिपोर्ट में सस्पेक्ट सिलिकोसिस बताया गया. बुधवार को बोर्ड की बैठक में पांच में से चार को सिलिकोसिस मरीज होने की पुष्टि की गयी. सामाजिक कार्यकर्ता ने श्री महतो ने कहा कि प्राभात खबर में खबर प्रकाशित होने के बाद न्याय की उम्मीद जग गयी थी. इतना जल्दी सबकुछ होगा, यह उम्मीद नहीं थी.

सिलिकोसिस के रोगी को क्या सरकारी अनुदान देने का है प्रावधान

सिलिकोसिस मरीजों को लेकर राज्य के स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग ने 27 जून 2023 को संशोधित सिलिकोसिस राहत, पुनर्वास और इलाज पॉलिसी जारी किया. जिसके तहत श्रम विभाग द्वारा सिलिकोसिस मरीजों को पुनर्वास सहायता के रूप में दो लाख रुपये मिलेगा. यदि मरीज को जीवित रहते दो लाख रुपये नहीं मिला तो मृतक के आश्रित को चार लाख रुपये की पुनर्वास सहायता राशि मिलेगी. मरीज के निधन होने के बाद आश्रित को दो लाख रुपये की पुनर्वास सहायता राशि मिलेगा. मरीज के जीवित रहते सिलिकोसिस पुनर्वास पेंशन प्रतिमाह चार हजार रुपये मिलेगा. मरीज के नहीं रहने पर उसकी पत्नी/पति/माता-पिता/नाबालिग/विधवा बेटी को साढ़े तीन हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलेगा. शिक्षा के लिए सहायता राशि के रूप में मरीज के संतानों को कक्षा ग्यारह में चार हजार रुपये, कक्षा बारह में पांच हजार रुपये, ग्रेजुएशन में सालाना छह हजार रुपये, मास्टर्स में सालाना 10 हजार रुपये, मेडिकल व इंजीनियरिंग में सालाना 30 हजार रुपये, पॉलीटेक्निक में सालाना दस हजार रुपये मिलेगा. कन्यादान सहायता राशि के रूप में दो लड़कियों को 25-25 हजार रुपये करके मिलेगा. इसके अलावा सरकार की सामाजिक सुरक्षा के सभी परियोजनाओं में अग्राधिकार मिलेगा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है